न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 88/09

प्रभूलाल पुत्र मांगी लाल जाति धाकड आयु 40 वर्ष निवासी गुडा देव जी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर ।
2. जिला कलक्टर, बून्दी ।
3. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा ।
4. ग्राम पंचायत गुढा देवजी जरिये सरपंच ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.03.2001 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2001 के द्वारा वादी की साक्ष्य लेकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द कर उक्त वाद पोषनीय नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.03.2001 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपेन वकील साहब को नियुक्त किया था और उन्होने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नही हुई । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.07.2009 को अपने खते में जाने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटित हुई थी और वह पिछले 40 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी की साक्ष्य ली जाकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करे बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में बंजड थी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2001 निरस्त फरमाई जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी किस्म चारागाह दर्ज है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई । उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2001 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य लेकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द कर वादी का वाद पोषनीय नहीं होना मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी तथा उक्त भूमि को चारागाह भूमि होना बताया है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की पालना करते हुए पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2001 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा